संख्या– 04 /XVI-(2)/09/7(36)/08

प्रेषक,

विनोद फोनिया,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

मुख्य कार्यकारी अधिकारी,
भेषज विकास इकाई,
देहरादून।

उद्यान एवं रेशम अनुभागः–2 देहरादूनः दिनांक 13 फरवरी,2009

विषयः– अनुदान संख्या–29 के अन्तर्गत जिला सैक्टर की चालू योजनाओं हेतु समग्र रूप से प्राविधानित धनराशि रू0–147.50 के सापेक्ष रू0–4.50 लाख की वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या–1899/लेखा/नियोजन/2008–09 दिनांक–30 दिसम्बर 2008 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि, चालू वित्तीय वर्ष 2008–09 में अनुदान संख्या–29 के अन्तर्गत भेषज विकास इकाई की जिला पक्ष की योजनाओं हेतु वित्तीय स्वीकृति निर्गत करने विषयक शासनादेश संख्या–686/XVI/08/7(36)2008,दिनांक–14 जुलाई,2008 द्वारा समग्र रूप से **रू0–58.35 लाख (रू0 अट्ठावन लाख पैंतीस हजार मात्र)** की धनराशि आपके निर्वतन पर रखी गई थी। तद्नुक्रम में भेषज विकास इकाई की जिला पक्ष की योजनाओं में **जनपद बागेश्वर हेतु अनुदान संख्या–29(सामान्य) योजनान्तर्गत रू0–4.50 लाख का परिव्यय आंवटित किये जाने के फलस्वरूप प्रश्नगत योजनाओं** 9113–विविध कार्यों हेतु भेषज संघों को अनुदान, 9114–जड़ी–बूटी रोपण सामग्री का उत्पादन तथा 9115–भेषज संघों का अवस्थापना विकास के अन्तर्गत क्रमशः रू0–.50 लाख, रू0–2.00 लाख, एवं रू0–2.00 लाख अर्थात समग्र रूप से रू0–4.50 लाख (रू0 चार लाख पचास हजार मात्र) की धनराशि संलग्नक–1, में उल्लिखित विवरणानुसार व्यय हेतु आपके निर्वतन/आवंटन में रखे जाने की श्री राज्यपाल निम्नांकित शर्तानुसार सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:–

1– स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय जिला योजनाओं के प्रभावी कियान्वयन हेतु विकेन्द्रीकरण के अन्तर्गत जिलाधिकारियों/मण्डलायुक्तों को वित्तीय अधिकार प्रतिनिधायन किये जाने विषयक मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या–624/जि0यो0/रा0यो0आ0मु0 स0/2008,दिनांक–24 मार्च,2008 के माध्यम से निर्धारित व्यवस्था का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित करते हुए, जिला नियोजन एवं अनुश्रवण समितियों द्वारा जनपदवार अनुमोदित परिव्यय की सीमान्तर्गत ही किया जायेगा। अनुमोदित परिव्यय की सीमा से अधिक व्यय कदापि नही किया जायेगा।

2– इस धनराशि का व्यय केवल जिला नियोजन एवं अनुश्रवण समिति द्वारा अनुमोदित कार्यो के लिए ही किया जायेगा। **साथ ही धनराशि का व्यय जनपदवार परिव्यय के अनुसार प्रतिनिधानित अधिकारों के अनुसार जिलाधिकारी/मण्डलायुक्त के अनुमोदनोपरान्त ही किया जायेगा।**

3– उक्त व्यय करते समय वित्त अनुभाग–1, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या–**267/XXVII(1)/2008**, दिनांक–27 मार्च, 2008 **(छायाप्रति संलग्न)** में दिये गये दिशा– निर्देशों तथा शासन द्वारा समय–समय पर निर्गत आदेशों/ निर्देशों एवं बजट मैनुअल के सुसंगत नियमों का पालन सुनिश्चित किया जाएगा।

4– किसी भी शासकीय व्यय हेतु भण्डार कय प्रकिया (स्टोर्स पर्चेस रूल्स) वित्तीय नियम संग्रह खण्ड–1 वित्तीय अधिकारों का प्रतिनिष्पादन नियम संग्रह खण्ड–5 भाग–1 आय व्यय सम्बन्धी नियम शासनादेश आदि का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा,तथा कम्प्यूटर हार्डवेयर/साफ्टवेयर का कय सूचना प्रौद्योगिकी (I.T.) विभाग के शासनादेशों/दिशा–निर्देशों का पालन सुनिश्चित करते हुए किया जायेगा।

5– अनुदान के अन्तर्गत होने वाले सम्भावित व्यय की फेजिंग त्रैमास के आधार पर शासन को उपलब्ध करायी जाय, जिससे राज्य स्तर पर कैशफलो निर्धारित किये जाने में किसी भी प्रकार की कठिनाई उत्पन्न न हो।

...2/..

6– व्यय करने से पूर्व जिन मामलों में बजट मैनुअल वित्तीय हस्तपुस्तिका के नियमों तथा अन्य स्थाई आदेशों के अन्तर्गत शासकीय तथा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति की आवश्यकता हो तो उसमें व्यय करने से पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय।

7– व्यय केवल उन्हीं मदों में किया जाय, जिनके लिए यह स्वीकृति निर्गत की जा रही है, साथ ही किसी भी प्रकार के मद परिवर्तन का अधिकार विभाग के पास नहीं रहेगा।

8– व्यय की सूचना प्रपत्र बी0एम0–13 पर प्रत्येक माह की 20 तारीख तक वित्त विभाग को अवश्य उपलब्ध कराई जाय तथा धनराशि का आहरण/व्यय एकमुश्त न करके आवश्यकतानुसार ही किया जायेगा।

9– इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2008–09 में अनुदान संख्या–29 के लेखाशीर्षक–2401–फसल कृषि कर्म–00–आयोजनागत–119–बागवानी और सब्जियों की फसलों की जिला पक्ष की योजनाओं क्रमशः–9113–विविध कार्यो हेतु भेषज संघों को अनुदान–9114–जड़ी–बूटी रोपण सामग्री का उत्पादन एवं 9115–भेषज संघों का अवस्थापना विकास के अन्तर्गत **संलग्नक–1** में उल्लिखित विवरणानुसार 20–सहायक अनुदान/अंशदान/राजसहायता मद के नामे डाला जायेगा।

संलग्नक–यथोपरि।

भवदीय,

(विनोद फोनिया)
सचिव।

संख्या–04 /XVI-(2)/09/7(36)/08, तददिनांकः

प्रतिलिपिः–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, ओबराय मोटर्स बिल्डिंग माजरा, देहरादून।
2. सचिव, समाज कल्याण, उत्तराखण्ड शासन।
3. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
4. आयुक्त, गढ़वाल मण्डल, पौड़ी/कुमायूँ मण्डल, नैनीताल।
5. निदेशक, उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग, उद्यान भवन चौबटिया–रानीखेत।
6. वित्त अनुभाग–4/नियोजन अनुभाग,उत्तराखण्ड शासन।
7. समस्त वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
8. बजट राजकोषीय नियोजन एवं संसाधन निदेशालय/राज्य योजना आयोग,उत्तराखण्ड।
9. राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र, सचिवालय परिसर देहरादून।
10. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(विनोद फोनिया)
सचिव।

शासनादेश संख्या–04 /XVI-(2)/09/ 7 (36)/08,दिनांक–13 फरवरी,2009 का
संलग्नक–1

(धनराशि हजार रू0 में)

क्र0 सं0	जनपद का नाम	आहरण वितरण अधिकारी का नाम	योजनावार आवंटित धनराशि का विवरण			कुल योग
			9113–विविध कार्यो हेतु भेषज संघों को अनुदान	9114–जड़ी–बूटी रोपण सामग्री का उत्पादन	9115–भेषज संघों का अवस्थापना विकास	
1	2	3	4	5	6	7
1.	बागेश्वर	मुख्य कार्यकारी अधिकारी, भेषज विकास इकाई, देहरादून	50	200	200	450
	योग अनुदान संख्या–29		50	200	200	450

(रूपये चार लाख पचास हजार मात्र)

(विनोद फोनिया)
सचिव।